तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दावा रामजीलाल बनाम राज० सरकार
28/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित है। वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) एवं आदेश 6 नियम 17 दिनांक 2/1/2026 को पेश हो।
2/1/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) एवं आदेश 6 नियम 17 नियत है। प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) एवं आदेश 6 नियम 17 खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी पेश हेतु दिनांक 27/2/2026 को पेश हो।
30/1/26	प्रार्थना पत्र मिशल तलबी पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1(3) CPC पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1(3) CPC दिनांक 2/2/2026 को पेश हो।
2/2/2026	पत्रावली पेश हुई। वादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दावा विड्रॉल करने बाबत पेश किया, जिसे सुना गया। वादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में उक्त वाद पूर्व में जानकारी अनुसार अपने पूर्वजों की खातेदारी भूमि की रकबा 17 बिस्वा एवं अन्य वादग्रस्त भूमि पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवा इ इही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दावा रामजीलाल बनाम राज० सरकार अपने दीर्घकाल कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से उनकी खातेदारी भूमि 36 बीघा 3 बीस्वा पर आज दिन तक निरन्तर पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य मे चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण की उक्त खातेदारी की भूमि में से 6 बीघा 3 बीस्वा भूमि बिना अधिकार कम करते हुए राजकीय सिवायचक भूमि मे अंकित कर दी गई, जो कि राजस्व रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपियो से प्रमाणित है। ऐसी दशा मे उक्त भूमि पर अपने खातेदारी अधिकार सुरक्षित रखने हेतु वादीगण दूसरा दावा प्रस्तुत करना चाहते है। जिसके संबंध में वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2022(4) CJ (Civ) (Raj.) पेश किया। इसलिए वादीगण अपना उक्त प्रकरण विड्रॉ कर उक्त वाद के स्थान पर दूसरा वाद प्रस्तुत करने की अनुमति चाहने के संबंध में प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण का प्रकरण विड्रॉ कर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। जिससे राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि मे से 6 बीघा 3 बीस्वा कम अंकित की गई है, उसके संबंध मे नया वाद दायर कर सके। वादीगण का प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 CPC बाबत नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की हद तक स्वीकार किया जाकर न्याय हित में विड्रॉ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद पत्र को विड्रॉ प्रार्थना-पत्र के आधार पर वादीगण का वाद पत्र न्याय हित में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible]थल	